VOLUME-7, ISSUE-1, JANUARY-2018 • PRINT ISSN No 2277 - 8160

Original Research Paper

History

उन्नीसवी भाताब्दी में महिलाओं की सामाजिक स्थिति – एक विवेचन

Manoj Kumar

Research Schoolar, Dept. of History, Indra Gandhi University, Meerpur, Rewari, Haryana, Pin 122502

KEYWORDS :

परिचयः–

भारतीय सभ्यता के अतीत का यदि हम अध्ययन करतें हैं तो हम पाते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता यथा जब से मनुष्य ने सुव्यवस्थित तरीके से रहना शुरू किया है अर्थात खानाबदोश रहन–सहन को छोड़कर उसने एक स्थान पर परम्परागत तरीके से रहना शरू किया है, तब से ही समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति प्रतिष्ठापूर्ण रही है। इसके सन्दर्भ में सिन्धु सभ्यता जो कि एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, एक ठोस उदाहरण है। इस सभ्यता के प्रत्येक उत्खनीत स्थल पर जो अवशेष प्राप्त हुए है मातृदेवी की मृणमूर्ति प्रमुख है जिससे स्पष्ट होता है कि स्त्री जाति का इस सभ्यता मे विशेष स्थान था। वैदिक काल में भी नारी की समाज में स्थिति बहुत अच्छी थी। समाज में नारी को नर के बराबर अधिकार व सम्मान प्राप्त था। वह समाज के सभी कार्यों में अपनी बराबर की उपस्थिति दर्ज कराती थी। यजुर्वेद में नारी सम्बन्धी वैदिक भाव इस प्रकार मिलतें है:–

मूर्द्धासिराड् ध्रुवासि धरूणा धनर्यास धरणी।
आयुशे त वर्चसे त्वा कृश्यै त्वा क्षेमायत्वा।।

निसन्देह यह कहा जा सकता है कि वैदिक अर्थों के बीच नारी की स्थिति इतनी ऊँची थी कि आज 21वीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में भी संसार का अधिक से अधिक सुसंस्कृत राष्ट्र भी नहीं कह सकता कि उसने नारी को इतना ऊँचा स्थान प्रदान किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति व सभ्यता में महिलाओं कि स्थिति प्रतिष्ठापूर्ण व गौरवशाली थी। लेकिन काल के चक्र के साथ समाज में महिलाओं की स्थिति मे भी परिवर्तन आया तथा उन्नीसवी शताब्दी के आते–आते उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई।

उन्नीसवी भाताब्दी में महिलाओं की स्थिति :–

मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत तक लगभग सात शताब्दियों तक भारत पर विदेशी शासन रहा। विदेशों से विधर्मियों के आगमन व आक्रमण होने के बाद भारतीय संस्कृति के अनेकों मूल्यों का अवमूल्यन हुआ। भारतीयों का भौतिक, अध्यात्मिक और नैतिक पतन हो गया, जिसका प्रभाव नारी पर पड़ना स्वाभाविक था। नारी सम्बन्धी मान्यताओं ने कालान्तर में अपना गरिमा मण्डित स्थान खो दिया। वह अपने गृह में साम्राज्ञी के महान पद से हटा दी गई। समाज में धार्मिक अंधविश्वासों एवं आडम्बरों के कारण अनेक क्रुर कुरीतियाँ प्रचलित थी। समाज में प्रचलित कुछ प्रमुख कुरीतियाँ इस प्रकार थी–

सती प्रथा :–

भारत के इतिहास में प्राचीन काल से ही सती प्रथा के उदाहरण मिलतें हैं, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता हैं कि यह प्रथा प्राचीनकाल से ही भारत में विद्यमान थी। रामायण में मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, महाभारत में पांडु की दूसरी पत्नी माद्री अपने पति के साथ सती हो गई थी। हालाकिं कश्मीर के शासक सिकन्दर तथा कुछ मुगल बादशाहों ने इस प्रतिबन्ध लगाने के असफल प्रयास किये। उन्नीसवी शताबदी में बंगाल और उसके आस–पास के क्षेत्र में सती प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के कारण विशेषकर उच्च वर्ग की विधवा होने वाली महिलाओं को असहनीय पीड़ा को सहन करते हुए मौत को गले लगाना पड़ता था। इस प्रथा के तहत विधवा स्त्री को अपने पति की चिता में बैठ कर अपने आप को जीवित जलना होता था। बंगाल में 1815–17 के मध्य सती होने की आठ सौ चौसठ घटना घटी, जो अपने आप में इस क्रुर प्रथा की भयानकता को दर्शाता है। भारत में प्रचलित सती प्रथा को विद्वान मुखोपाध्याय ने स्त्री हत्या बताया। राजा राममोजन राय ने इस प्रथा के विरूद्ध समाज व कम्पनी सरकार के समक्ष प्रतिवेदन रख। राजा राममोहन राय के द्वारा किये गये अथक प्रयासों के कारण कम्पनी सरकार ने 4 दिसम्बर 1829 ई0 को इस अमानवीय प्रथा पर प्रतिबन्द्ध लगा दिया।

विधवा पुनर्विवाह निशेध :–

उन्नीसवी शताब्दी के भारतीय समाज में हिन्दू समाज की महिलाओं से सम्बन्धित एक विकराल समस्या विधवा पुनर्विवाह की थी। विधवाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध था, जबकि पुरूषों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था। स्मृति काल के बाद विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। मनु के अनुसार यदि एक विधवा पुनर्विवाह करती है तो स्वंय को अपमानित करती है। अतः उसे अपने स्वामी के घर से निकाल देना चाहिए। उन्नीसवी शताब्दी में महिला अधिकारों का हनन करती इस प्रथा पर ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने संस्कृत तथा वैदिक ग्रन्थों के आधार पर सिद्ध किया कि भारतीय संस्कृति एवं परम्परा के अनुसार विधवा विवाह विधि सम्मत हैं। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने अक्टूबर 1855 ई0 में एक सहस्त्र हस्ताक्षरों से अनुमोदित एक प्रार्थना पत्र कम्पनी सरकार को सौपा। इस कुप्रथा के खिलाफ समाज का एक वर्ग लगातार अभियान चलाता रहा। जिस कारण लार्ड डलहौजी ने 26 जुलाई 1856 ई0 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कर दिया।

बहु पत्नी विवाह :–

इसी प्रकार बहु–विवाह स्त्रियों के अधिकारों पर चोट करती हुई एक अन्य प्रथा जो उन्नीसवी शताब्दी में प्रचलित थी। बहु–विवाह के प्रचलन से स्त्रियों का उत्पीड़न हो रहा था तथा समाज में अनेक बुराईया फैल रही थी। जब कम्पनी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने शुरू किये तो बाबू किशोर चन्द ने तत्कालीन व्यवस्थापिका सभा के समक्ष बहु विवाह के पक्ष में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि बहु–विवाह शास्त्र सम्मत प्रथा है। इसके वर्जित होने पर हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचेगी। अतः इसमें सरकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। बहु विवाह प्रतिबन्द्ध के लिए कार्य कर रहे विरोधी पक्ष ने बाबू किशोर चन्द्र की रिपोर्ट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बाबू रमा प्रसाद राय इस प्रथा के खिलाफ़ लगातार संघर्ष करते रहे। वाराणासी के राजा देवनारायण सिंह ने भी इस प्रथा के विरूद्ध अभियान चलाया। उन्नीसवी शताब्दी में इस प्रथा के उन्मुलन के लिए न्यायमूर्ति रानाड़े, महात्मा ज्योतिबा फूले व बहराम जी मालबारी ने प्रयास किये।

बाल–विवाह :–

बाल–विवाह प्रथा का अत्यधिक प्रचलन स्त्रियों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। छोटी आयु में विवाह हो जाने के फलस्वरूप स्त्रियों की शिक्षा का स्तर गिरा तथा उनमें अज्ञानता बढ़ी। अज्ञानता के कारण स्त्रियाँ अपनी मूल स्थिति को नहीं समझ सकीं और अपने अधिकारों को न माँग सकी। विवाह संस्कार को ही स्त्री का उपनयन संस्कार मान लिया गया। कम आयु में विवाह हो जाने के कारण अल्प आयु की वधुएँ पुरूष के प्रभाव में आसानी से आ जाती थी। कम आयु में विवाह होने के कारण उनको छोटी आयु में ही घर–गृहस्थी की समस्याओं से जूझना पड़ा। छोटी आयु में ही माँ बन जाने के कारण उनको अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं मिल सका। इस प्रकार से बाल–विवाह की प्रथा भी भारतीय स्त्रियों के पतन का मुख्य कारण रही।

कन्या–वध प्रथा :–

उन्नीसवी शताब्दी के मध्य तक कन्या वध की प्रथा विशेषकर राजस्थान में जोरों पर प्रचलित थी। इस प्रथा के प्रचलन के अनेक कारण थे। प्रथम तो लड़की के विवाह की समस्या थी। एक राजपूत अपनी सन्तान का विवाह अपने ही कुल में नहीं कर सकता था। जैसे एक सिसोदिया राजपूत अपना विवाह सिसोदिया राजपूतों में नहीं कर सकता था, क्योंकि कुलीय भावना के आधार पर सभी सिसोदिया स्त्री–पुरूष अपने को भाई–बहन समझते थे। इससे वैवाहिक सम्बन्धों का क्षेत्र काफी सीमित हों गया था। दूसरी बात यह थी कि राजपूतों में उच्चोच्च वंश विवाह की परम्परा थी अर्थात प्रत्येक राजपूत अपनी पुत्री का विवाह अपने से उच्च घराने में करने की लालसा रखता था। विवाह योग्य दहेज और त्याग न जुटा पाने की स्थिति में उनके लिए कन्या वध का विकल्प चुनना आसान होता था।

डाकिनी प्रथा :–

भारत वर्ष में उन्नीसवीं शताब्दी में "डाकिनी" प्रथा जोरों पर थी। ऐसा माना जाता था कि अछूत जाति की स्त्रियों में जो कुरूप और वृद्धा होती थी, वे डाकिनी होती थी। लोगों का ऐसा विश्वास था कि जिस बच्चे या स्त्री को डाकिनी लग जाती थी, वह बीमार होकर धीरे–धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। बच्चों के विषय में कहा जाता था कि उनके कलेजे को डाकिनी खा जाती थी। डाकिनी को गाँव वाले जीवित जला देते थे या पीटकर आहत कर देते थे। इस प्रकार सैकड़ों निरपराध गरीब औरतों को घोर यातनाएँ तथा वेदना ही नहीं सहनी पड़ती थी बल्कि अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता था।

अशिक्षा :–

यह सत्य है कि हिन्दू वर्ण व्यवस्था, कर्मकाण्डों की जटीलता तथा ब्रह्मणवाद स्त्रियों की दयनीय दशा और पतन का मुख्य कारण था। परन्तु इनके अलावा एक मुख्य

कारण जो स्त्रियों के पतन के लिए जिम्मेदार था, वह उनकी अशिक्षा थी। अशिक्षा के कारण स्त्रियों ने बिना किसी तर्क के इन पक्षपातपूर्ण धार्मिक विधानों को स्वीकार किया, जिसके कारण वे अपने अधिकारों से वंचित हो गई। पति तथा परिवार द्वारा दिए गए धार्मिक उपदेश ही उनकी एकमात्र शिक्षा थी। इस प्रकार वे इन रूढ़िवादी उपदेशों के प्रभाव के कारण स्त्री जाति अपना स्वंय का अस्तित्व भूलती गई तथा पति एवं पुत्र की सेवा ही उसका एक मात्र धर्म निर्धारित हो गया। परिणामस्वरूप सामाजिक व्यवस्था एक पक्षीय हो गई। नारी शिक्षा के लिए सर्वप्रथम प्रयास महात्मा फूले ने शुरू किया तथा उन्नीसवीं शताब्दी के उतरार्द्ध में महर्षि घोंडो कर्वे ने नारी शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किये।

समाजिक पुनर्जागरण व चेतना का विकास :–

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति के भिन्न–भिन्न कारण रहे हैं, परन्तु एक मूल कारण यह रहा है कि भारतीय समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं पर पुरूषों का एकाधिकार रहा है तथा स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया। अनेक कुरीतियों, रूढ़ियों, परम्पराओं, कर्मकाण्डों और पाखण्डों में भारतीय स्त्री का जीवन इस प्रकार उलझकर रह गया।

आधुनिक भारत का पुनर्जागरण वह प्रक्रिया है जो पाश्चात्य संस्कृति के सम्पर्क में आने के बाद बौद्धिक वर्ग में नवचेतना जागृत होने के कारण समाज सुधार एवं धर्म सुधार के रूप में सामने आई। रूढ़िवादी, परम्परावादी, कट्टरवादी, पुरोहितवादी सामाजिक अंधविश्वास से युक्त धार्मिक परिवेश की कुरीतियों व बुराईयों को दूर कर शोषित वर्ग को मुक्त करने तथा स्वच्छ व स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए क्रियान्वित हुई थी। भारत में सामाजिक पुनर्जागरण व राजनैतिक चेतना का विकास साथ–साथ हुआ है। इस काल में समाज को अज्ञानता, गरीबी, शोषण, दासता और अपनी प्राचीन रूढियों से एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। भारतीय नारी जो सदियों से पुरूश प्रधान समाज की दी हुई व्यवस्थाओ और पत्नोन्मुख समाज की स्थितियों में रहने के कारण पिछड़े वर्गो में गिनी जाती थी, प्रायः प्रत्येक सुधार आन्दोलन का आधार बनी। उसे विदेशी दास्ता, पुरूष समाज की दास्ता और सामाजिक रूढियों की जकड़न के विरूद्ध एक साथ तीन–तीन मोर्चों पर लड़ना पड़ा। समाज में उत्पन्न हुई विसंगतियों, सामाजिक कुप्रथाओं, अंधविश्वासों में सुधार करने के लिए विभिन्न समाजसुधारकों यथा राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, फूले दम्पती, स्वामी दयानन्द सरस्वती, न्यायमर्ति रानाड़े, पंडिता रमाबाई आदि ने अहम योगदान दिया। इसलिए उसके मुक्ति संघर्ष को सामाजिक व राजनीतिक स्तरों पर अलग–अलग करके नहीं, एक साथ ही देखना होगा। भारतीय महिला अपना उचित और वास्तविक हक और पद प्राप्त करने के लिए लम्बे समय कर रही हैं।

सन्दर्भ सूचि

1 कीर, धन्नजय : महात्मा ज्योतिराव फूले, पापुलर प्रकाशन, मुम्बई।
2 कुमार, राधा, : स्त्री संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
3 गंगवार, डॉ0 ममता, : इतिहास के आइनें में महिला सशक्तिकरण, सरस्वती प्रकाशन, कानपुर।
4 गोयल, प्रीति प्रभा, : भारतीय नारी विकास की ओर, मिनर्वा पब्लिकेशन जोधपुर।
5 मालती, के0एम0, : स्त्री विमर्श : भारतीय परिप्रेक्ष्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
6 मेहता, चेतनसिंह, : महिला एंव कानून, आशीष बुक्स, नई दिल्ली।
7 मोदी, सरोज, : संविधान और महिलाएं, नई दिल्ली।
8 यजुर्वेद–14.21
9 डा0 राजकुमार(सम्पा0), : भारतीय नारी–सामाजिक अध्ययन, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस दिल्ली।
10 वहौरा, आशा रानी, : औरतः कल, आज और कल, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।
11 शर्मा, प्रज्ञा, : महिला विकास एवं सशक्तिकरण, आविष्कार पब्लिशर्स जयपुर।
12 सिंह, मिनाक्षी, : महिला सशक्तिकरण का सच, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।